राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)

"सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था" (एएसएसडी)

का

संस्थापन प्रलेख

1. नाम

1.1 इस संस्था का नाम "राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)" होगा।

1.2 यह संस्था सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किए जाने वाले मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी।

2. पंजीकृत कार्यालय

2.1 इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में स्थित होगा।

3. उद्देश्य

3.1 विश्व स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण तथा प्रत्यायन सेवाएँ प्रदान करने के माध्यम से सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) तथा संबद्ध क्षेत्रों में अच्छी क्वालिटी की जनशक्ति का सृजन करना तथा कुशल पेशेवरों का विकास करना।

3.2 आईईसीटी के क्षेत्र में गतिशील रूप में बदलते परिदृश्य के साथ संबद्ध होकर अभिनव पाठ्यक्रम का डिजाइन एवं विकास सक्रिय रूप में करने तथा पाठ सामग्री का अभिग्रहण करने के माध्यम से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निरन्तर रूप में सहायता प्रदान करना।

3.3 परीक्षा एवं प्रमाणन की एक ऐसी गुणवत्तापूर्ण प्रणाली की स्थापना करना जो विद्यार्थियों की क्षमता का सही एवं उचित मूल्यांकन करने में वैश्विक रूप में स्वीकृत हो।

3.4 अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए एआईसीटीई तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त रूप में विकसित डीओईएससी योजना का कार्यान्वयन जारी रखना।

3.5 आईईसीटी के क्षेत्रों में मानक स्थापित करना तथा उदीयमान क्षेत्रों में बाजारों का विकास करना।

3.6 आईईसीटी के क्षेत्र अप्रचलन की उच्च दर को ध्यान में रखते हुए ज्ञान एवं कुशलता के स्तर को अद्यतन बनाए रखने के लिए सतत शिक्षण प्रदान करना।

3.7 आईईसीटी के क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना।

3.8 उद्योग उन्मुखी डिजाइन एवं विकास को बढ़ावा देने तथा पोषित करने के प्रयोजन से, एक बाजार की संस्कृति का विकास एवं संवर्धन करना।

3.9 संस्था की स्थापना के किसी अथवा सभी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय करना, पट्टे, किराए पर लेना, विनिमय या अन्य रूप में प्राप्त करना तथा बंधक-पत्रक की धनराशि, प्रतिभूतियों तथा सभी प्रकार की चल अथवा अचल सम्पत्तियों का विक्रय करना, पट्टे पर देना, निपटान करना, निवेश करना।

3.10 संस्था के कार्यकलापों के संबंध में धनराशि प्रभारित करना तथा प्राप्त करना जिसमें सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से समय-समय पर प्राप्त होने वाला अनुदान/ऋण शामिल है।

3.11 संस्था की सभी आय, उपार्जनों, चल, अचल सम्पत्तियों का उपयोग संस्था के संस्थापन प्रलेख में यथा उल्लिखित इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से किया जाएगा और इसके किसी भी भाग का भुगतान अथवा अन्तरण लाभांश, बोनस, लाभ अथवा किसी भी दूसरे तरीके से संस्था के वर्तमान सदस्यों अथवा किसी एक या अधिक वर्तमान सदस्यों की ओर से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। संस्था के किसी भी सदस्य का संस्था की किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं रहेगा या इसकी सदस्यता के बल पर किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

3.12 यह संस्था एक अलाभकारी संस्था होगी और व्यय की तुलना में आय के आधिक्य को समेकित निधि के रूप में रखा जाएगा, जिसका उपयोग संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से किया जाएगा।

3.13 ऐसे सभी कार्यकलाप करना जो संस्था के उद्देश्यों को हासिल करने के आनुषंगिक/सहायक हों।

4. प्रबंध

4.1 यह संस्था सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित मंत्रालय/विभाग के अन्तर्गत कार्य करेगी। संस्था का एक संस्थागत ढाँचा होगा जिसमें एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में एक शासी परिषद होगी जो कार्पोरेट नीतियाँ तैयार करेगी तथा संस्था के लिए निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेगी। परिषद में संस्था तथा इसके केन्द्रों के सभी कार्यकलापों के लिए शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ निहित होंगी। संस्था के तकनीकी, शैक्षिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंध के लिए परिषद को एक प्रबंध-मण्डल द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। संस्था तथा इसके सभी केन्द्र अधिशासी परिषद के समग्र नियंत्रण एवं मार्गदर्शन के अधीन होंगे। प्रत्येक केन्द्र को अपने प्रचालन में स्वतंत्रता के लिए प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन के माध्यम से लचीलापन प्रदान किया जाएगा जिससे वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकें। परिषद द्वारा आवधिक रूप में संस्था के कार्यकलापों की समीक्षा एवं निगरानी की जाएगी और ऐसे सुधारात्मक कार्रवाई जाएगी जो संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

4.2 संस्था का वित्तपोषण प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के आबंटन के आधार पर किया जाएगा और यह अपने विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से राजस्व का सृजन करेगी। संस्था सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के उद्योगों से प्रायोजित परियोजनाएँ प्राप्त करेगी और संस्था के विभिन्न केन्द्र एक निर्धारित समय में आत्म-निर्भर बनने का प्रयास करेंगे जिससे सरकार से सहायता अनुदान को कम किया जाए।

4.3 प्रशासनिक मंत्रालय संस्था को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा इसके कार्यों को सुचारू एवं कुशलतापूर्वक चलाने का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे जाएँ और संस्था इन निदेशों का अनुपालन करेगी।

4.4 संस्था के उद्देश्यों को हासिल करने के प्रयोजन से एक गतिशील प्रचालन के लिए, संस्था का प्रबंध स्वतंत्रता, स्वायत्त प्राधिकार, उत्तरदायित्व एवं लचालीपन सहित एक सांस्थानिक ढाँचे के अन्तर्गत किया जाएगा।

5. शासी परिषद का गठन

इस संस्थापन प्रलेख के अनुसरण में, वैज्ञानिक एवं धर्मार्थ संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित शासी निकाय के सदस्यों के नाम, पेशा एवं पता, जिसे संस्था के प्रबंध का दायित्व सौंपा गया है, नीचे दिए अनुसार है :

	नाम	पेशा	
1.	श्री दयानिधि मारन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नई दिल्ली - 110 003	लोक सेवक	अध्यक्ष
2.	श्री बृजेश कुमार सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली - 110 003	सेवा	उपाध्यक्ष
3.	श्री अजीर विद्या, भा.प्र.से संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली - 110 003	सेवा	सदस्य
4.	श्री पंकज अग्रवाल, भा.प्र.से. संयुक्त सचिव (ई-अधिगम एवं मूलसंरचना) तथा संस्था प्रभाग के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली - 110 003	सेवा	सदस्य
5.	प्रो.(डॉ.) के.के. अग्रवाल कुलपति गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट नई दिल्ली - 110 002	सेवा	सदस्य
6.	श्री रवि माथुर, भा.प्र.से. मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110 001	सेवा	सदस्य
7.	डॉ. पी. एन. राज़दान सलाहकार-I अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) इंदिरा गांधी स्टेडियम	सेवा	सदस्य

	इंद्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली - 110 002		
8.	श्री वेद प्रकाश सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग नई दिल्ली - 110 002	सेवा	सदस्य
9.	प्रो. वी.के.एस. हरि सह प्रोफेसर (ईसीई) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलौर - 560 012	प्रोफेसर	सदस्य
10.	प्रो. विनय कुमार नांगिया प्रबंध अध्ययन विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की उत्तरांचल	प्रोफेसर	सदस्य
11.	श्री नलिन कोहली अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद पीएचडी हाउस, हौज़ ख़ास नई दिल्ली	उद्योगपति	सदस्य
12.	प्रो. वीणा कुमार मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हौज़ ख़ास नई दिल्ली	प्रोफेसर	सदस्य
13.	प्रो. पी. के. चिन्दा प्रधानाचार्य केशव महाविद्यालय एच-320, नया राजेन्द्र नगर नई दिल्ली - 110 060	प्रोफेसर	सदस्य

14.	प्रो. रुद्र प्रताप सहायक प्रोफेसर मेकेनिकल इंजीनियरी भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	प्रोफेसर	सदस्य
15.	श्री एम.एल. रवि प्रेसिडेंट, सीएसआई 18, मिलाप सोसायटी, प्लॉट नं.18, सर्वे नं.14 पटवर्धन बाग (वकील नगर के पास) एरांदवाने, पुणे - 411 004	आईटी प्रोफेशनल	सदस्य
16.	डॉ. जे.एच. अग्रवाल उपाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियर संस्थान 2, इंस्टीट्यूशलन एरिया लोधी रोड, नई दिल्ली	शिक्षाविद	सदस्य
17.	डॉ. पी.एन. गुप्त कार्यकारी निदेशक डीओईएसीसी सोसायटी नई दिल्ली	सेवा	सदस्य-सचिव

6. संस्था के नियमों एवं विनियमों की एक प्रति, जो शासी परिषद के तीन सदस्यों द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित है, इस संस्थापन प्रलेख के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

7. हम, विविध व्यक्ति, जिनके नाम तथा पते नीचे दिए गए हैं, इस संस्थापन प्रलेख में वर्णित प्रयोजन के लिए सम्बद्ध होने के कारण, एतदद्वारा इस संस्थापन प्रलेख में अपने नाम शामिल करते हैं तथा हमारे अपने-अपने नाम पृथक रूप में नीचे कायम करते हैं और आज 24 अक्तूबर, 1994 को नई दिल्ली में अपनी एक संस्था तैयार करते हैं।

क्र.सं.	नाम एवं पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	प्रो. पी.वी. इंदिरेसन टाइप V, फ्लैट नं. 8 नीपा क्वार्टर, एनसीईआरटी परिसर नई दिल्ली - 110 016	सेवा-निवृत्त प्रोफेसर	हस्ता/-
2.	प्रो. आर.के. अरोड़ा कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हौज़ ख़ास	प्रोफेसर	हस्ता/-

	नई दिल्ली - 110 016		
3.	प्रो. डी.वी.आर. विठ्ठल इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद - 500 007	प्रोफेसर	हस्ता-
4.	प्रो. जे.पी. गुप्त सलाहकार, एआईसीटीई इंदिरा गांधी खेल परिसर इंद्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली - 110 002	प्रोफेसर	हस्ता/-
5.	श्री गौतम सोनी प्रमुख, जनशक्ति विकास प्रभाग इलेक्ट्रॉनिकी विभाग नई दिल्ली - 110 003	सेवा	हस्ता/-
6.	ब्रिगेडियर वी.एम. सुन्दरम (सेवा-निवृत्त) जी-502, सोमविहार अपार्टमेंट नई दिल्ली - 110 022	परामर्शदाता	हस्ता/-
7.	श्री टी.सी. गुप्त जनशक्ति विकास प्रभाग इलेक्ट्रॉनिकी विभाग नई दिल्ली - 110 003	सेवा	हस्ता/-

मैं उपर्युक्त हस्ताक्षर प्रमाणित करता हूँ।

हस्ता/-
(वी.के. भाटिया)
संयुक्त निदेशक
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग
नई दिल्ली - 110 003

हस्ता/-
(राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं रबड़ की मोहर)

हस्ता/-
सदस्य, शासी परिषद
डीओईएससीसी सोसायटी

हस्ता/-
सदस्य, शासी परिषद
डीओईएससीसी सोसायटी

हस्ता-
सदस्य, शासी परिषद
डीओईएससीसी सोसायटी

हस्ता/-
संस्था पंजीयक